भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2246

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन श्रेणियों को मुद्रा ऋण

2246. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुद्रा योजना के आरंभ से अब तक सम्पूर्ण देश में विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन श्रेणियों के लाभार्थियों की बापतला संसदीय निर्वाजन क्षेत्र सहित आन्ध्र प्रदेश में राज्य-वार, जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान मुद्रा योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्व-सहायता समूहों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन श्रेणियों के ग्राम-स्तरीय उद्यमियों द्वारा राज्य-वार और बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार कुल कितने ऋणों के लिए आवेदन किया गया तथा उनमें से कितने स्वीकृत और संवितरित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति और दिव्यांगजन समुदायों के बीच मुद्रा योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को आरंभ किए जाने के बाद से दिनांक 01.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 31.28 लाख करोड़ रुपए की राशि के 50.31 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

पीएमएमवाई के आरंभ होने के बाद से इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों को दिए गए ऋण की कुल संख्या का राज्य-वार और जिला-वार (आंध्र प्रदेश के संबंध में बापतला जिले सहित) ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध I और II** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.11.2024 तक) सहित विगत पांच वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों को स्वीकृत/संवितरित किए गए पीएमएमवाई ऋणों का राज्य-वार और जिला-वार (आंध्र प्रदेश के संबंध में बापतला जिले सहित) ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध III और IV** में दिया गया है।

मुद्रा योजना के अंतर्गत आंकड़े जिला-वार रखे जाते हैं न कि संसदीय क्षेत्र-वार। इसके अतिरिक्त, संभावित उधारकर्ताओं द्वारा आवेदन किए गए ऋणों की संख्या का ब्यौरा और दिव्यांग जन श्रेणी के उधारकर्त्ताओं को दिए गए ऋणों का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ): सरकार ने देश भर में पीएमएमवाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो जिंगल, होर्डिंग, टाउन हॉल बैठकों, वित्तीय साक्षरता और जागरूता शिविर, वित्तीय समावेशन के लिए विशेष अभियान आदि के माध्यम से प्रचार अभियान शामिल हैं। बैंक अपनी शाखाओं के साथ-साथ बैंक मित्रों (बीसी) के माध्यम से भी प्रचार करते हैं।

*****

"अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन श्रेणियों को मुद्रा ऋण" के संबंध में 09.12.2024 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध I				
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)				
राज्य-वार रिपोर्ट - संचयी (दिनांक 08.04.2015 से 01.11.2024 तक*)				
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**ऋण खातों की संख्या (स्वीकृत/संवितरित)**		
		कुल	**एससी (कुल में से)**	**एसटी (कुल में से)**
1	अंडमान निकोबार दीप समूह	**52,917**	3,798	1,568
2	आंध्र प्रदेश	**97,23,106**	8,70,330	1,86,053
3	अरुणाचल प्रदेश	**1,25,913**	7,005	42,533
4	असम	**1,10,78,637**	5,96,756	4,42,609
5	बिहार	**5,64,13,602**	86,32,605	25,74,772
6	चंडीगढ़	**1,91,385**	49,894	1,980
7	छत्तीसगढ	**95,35,907**	12,00,167	13,43,742
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	**39,740**	1,829	2,481
9	दिल्ली	**34,44,397**	5,09,867	1,05,403
10	गोवा	**3,72,205**	8,839	14,519
11	गुजरात	**1,51,34,010**	11,15,139	14,09,936
12	हरियाणा	**92,13,977**	36,55,697	2,33,670
13	हिमाचल प्रदेश	**10,84,133**	2,14,823	33,394
14	झारखंड	**1,47,01,817**	23,69,439	11,86,881
15	कर्नाटक	**4,81,32,112**	52,40,369	23,48,150
16	केरल	**1,63,89,766**	16,96,164	4,06,994
17	लक्षद्वीप	**11,508**	161	8,040
18	मध्य प्रदेश	**2,99,34,790**	54,03,127	36,82,187
19	महाराष्ट्र	**4,03,50,419**	56,58,392	25,63,257
20	मणिपुर	**4,55,053**	25,679	24,930
21	मेघालय	**2,81,102**	14,685	1,06,800
22	मिजोरम	**1,55,532**	6,700	89,623
23	नगालैंड	**1,45,644**	2,291	40,889
24	ओडिशा	**3,26,02,092**	54,25,970	25,99,924
25	पांडिचेरी	**11,93,552**	1,04,729	12,755
26	पंजाब	**94,28,510**	49,89,354	2,59,384
27	राजस्थान	**2,16,52,584**	48,93,236	31,14,265
28	सिक्किम	**1,61,939**	13,279	18,373
29	तमिलनाडु	**5,67,65,658**	62,44,523	7,00,807
30	तेलंगाना	**73,87,127**	8,87,660	4,27,743
31	त्रिपुरा	**30,59,217**	5,73,455	6,05,630
32	उत्तर प्रदेश	**4,95,64,727**	1,44,27,261	18,26,927
33	उत्तराखंड	**31,75,996**	7,85,293	1,17,541
34	पश्चिम बंगाल	**4,91,65,210**	81,31,536	15,54,629
35	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	**19,53,377**	50,033	18,576
36	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	**57,456**	238	34,836
	कुल	**50,31,35,117**	**8,38,10,323**	**2,81,41,801**

*अनंतिम

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

"अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन श्रेणियों को मुद्रा ऋण" के संबंध में 09.12.2024 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध II				
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)				
जिले-वार रिपोर्ट - संचयी (दिनांक 08.04.2015 से 01.11.2024* तक)				
राज्य	**आंध्र प्रदेश**	**ऋण खातों की संख्या (स्वीकृत/संवितरित)**		
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**कुज**	**एससी (कुल में से)**	**एसटी (कुल में से)**
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	3,222	109	1,163
2	अनकापल्ली	21,041	2,839	106
3	अनंतपुर	6,63,875	56,522	19,679
4	अन्नमय्या	45,781	4,713	950
5	बापतला	42,589	5,448	520
6	चित्तूर	6,10,231	56,982	12,126
7	कडप्पा	4,38,849	42,972	13,168
8	पूर्वी गोदावरी	9,52,445	88,316	9,184
9	एलुरु	58,343	2,397	469
10	गुंटूर	8,02,129	1,05,951	12,370
11	काकीनाडा	28,006	2,704	131
12	कोनासीमा	38,477	4,553	206
13	कृष्ण	7,68,438	54,754	8,533
14	कुरनूल	6,10,215	73,307	16,741
15	नांदयाल	61,935	9,936	1,164
16	नेल्लोर	5,67,749	51,094	15,624
17	एनटीआर	38,652	3,097	845
18	पलनाडु	31,138	2,938	824
19	पार्वतीपुरम मान्यम	13,464	1,446	825
20	प्रकाशम	6,38,129	69,852	15,236
21	श्री सत्य साई	63,894	8,519	1,765
22	श्रीकाकुलम	3,65,319	12,234	5,843
23	तिरुपति	79,394	8,815	2,427
24	विशाखापत्तनम	6,97,427	35,894	12,430
25	विजयनगरम	2,71,264	22,140	7,651
26	पश्चिम गोदावरी	5,15,957	59,103	5,720
27	अन्य #	12,95,143	83,695	20,353
	कुल	**97,23,106**	**8,70,330**	**1,86,053**

वित्तीय वर्ष 2015-16 और कुछ एनबीएफसी/एमएफआई के लिए जिलेवार डाटा उपलब्ध नहीं है

*अनंतिम

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

"अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन श्रेणियों को मुद्रा ऋण" के संबंध में 09.12.2024 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध III

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

जिले-वार रिपोर्ट - पिछले 5 साल (दिनांक 01.04.2019 से 01.11.2024* तक)

		ऋण खातों की संख्या (स्वीकृत/संवितरित)		
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल**	**एससी (कुल में से)**	**एसटी (कुल में से)**
1	अंडमान निकोबार दीप समूह	**17,294**	234	128
2	आंध्र प्रदेश	**67,55,297**	5,35,655	1,22,768
3	अरुणाचल प्रदेश	**89,720**	5,216	37,077
4	असम	**52,59,639**	2,64,694	2,20,966
5	बिहार	**3,98,90,946**	62,39,417	19,01,135
6	चंडीगढ़	**1,01,469**	30,720	1,391
7	छत्तीसगढ़	**58,47,604**	7,44,000	8,84,114
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	**25,959**	385	1,332
9	दिल्ली	**18,45,520**	2,67,059	46,939
10	गोवा	**2,11,267**	6,302	3,012
11	गुजरात	**96,16,717**	6,87,712	10,39,163
12	हरियाणा	**58,83,520**	23,56,206	1,53,492
13	हिमाचल प्रदेश	**7,04,131**	1,46,217	21,305
14	झारखंड	**1,01,55,717**	18,38,223	9,01,515
15	कर्नाटक	**2,93,63,496**	31,34,334	13,49,706
16	केरल	**1,01,65,971**	8,97,056	2,39,376
17	लक्षद्वीप	**8,625**	127	6,288
18	मध्य प्रदेश	**1,85,58,701**	34,18,261	24,31,173
19	महाराष्ट्र	**2,54,88,599**	33,17,733	16,21,719
20	मणिपुर	**2,89,842**	16,673	10,720
21	मेघालय	**1,73,616**	9,471	71,167
22	मिजोरम	**1,12,529**	3,853	62,914
23	नागालैंड	**97,870**	1,661	32,309
24	ओडिशा	**2,00,17,318**	33,94,520	16,73,772
25	पांडिचेरी	**6,52,077**	38,460	7,982
26	पंजाब	**60,66,196**	32,46,170	1,53,550
27	राजस्थान	**1,48,13,601**	35,68,019	22,84,295
28	सिक्किम	**86,909**	8,919	13,437
29	तमिलनाडु	**3,33,73,407**	29,01,910	4,58,503
30	तेलंगाना	**47,32,153**	4,45,918	2,59,276
31	त्रिपुरा	**18,96,851**	3,52,959	3,97,225
32	उत्तर प्रदेश	**3,35,04,620**	95,33,940	12,50,749
33	उत्तराखंड	**19,71,287**	4,82,133	64,948
34	पश्चिम बंगाल	**3,11,46,823**	46,67,498	10,20,995
35	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	**15,78,770**	39,457	16,069
36	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	**48,174**	170	29,807
	कुल	**32,05,52,235**	**5,26,01,282**	**1,87,90,317**

*अनंतिम

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

"अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन श्रेणियों को मुद्रा ऋण" के संबंध में 09.12.2024 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध IV				
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)				
जिले-वार रिपोर्ट - पिछले 5 साल (दिनांक 01.04.2019 से 01.11.2024* तक)				
राज्य	**आंध्र प्रदेश**	**ऋण खातों की संख्या (स्वीकृत/संवितरित)**		
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**कुज**	**एससी (कुल में से)**	**एसटी (कुल में से)**
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	3,222	109	1,163
2	अनकापल्ली	21,041	2,839	106
3	अनंतपुर	4,91,044	40,309	14,068
4	अन्नमय्या	45,781	4,713	950
5	बापतला	42,589	5,448	520
6	चित्तूर	4,51,847	37,466	8,251
7	कडप्पा	3,35,624	31,710	9,954
8	पूर्वी गोदावरी	6,84,013	43,993	5,493
9	एलुरु	58,343	2,397	469
10	गुंटूर	5,90,214	62,771	8,713
11	काकीनाडा	28,006	2,704	131
12	कोनासीमा	38,477	4,553	206
13	कृष्ण	5,98,551	39,087	5,052
14	कुरनूल	4,47,100	50,623	12,534
15	नांदयाल	61,935	9,936	1,164
16	नेल्लोर	4,41,550	36,130	11,525
17	एनटीआर	38,652	3,097	845
18	पलनाडु	31,138	2,938	824
19	पार्वतीपुरम मान्यम	13,464	1,446	825
20	प्रकाशम	4,75,378	42,147	10,137
21	श्री सत्य साई	63,894	8,519	1,765
22	श्रीकाकुलम	3,19,547	9,551	4,407
23	तिरुपति	79,394	8,815	2,427
24	विशाखापत्तनम	5,52,157	23,634	8,508
25	विजयनगरम	2,13,718	14,760	5,808
26	पश्चिम गोदावरी	3,44,386	27,539	3,239
27	अन्य #	2,84,232	18,421	3,684
	कुल	**67,55,297**	**5,35,655**	**1,22,768**

वित्तीय वर्ष 2015-16 और कुछ एनबीएफसी/एमएफआई के लिए जिलेवार डाटा उपलब्ध नहीं है

*अनंतिम

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार